

**FORM OF ORDER SHEET****IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**

Settlement Cancellation Appeal No.- 195/2023

**Kishan Mandal @ Krishna Dev Mandal.....Appellant****Versus****The State of Bihar & Anr.....Respondents**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20-03-2024	<p align="center"><b>—:आदेश:—</b></p> <p>प्रस्तुत अपील वाद न्यायालय समाहर्ता, कटिहार द्वारा बंदोबस्ती रद्दीकरण वाद सं०- 2/19-20 में दिनांक- 24.8.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध Bihar Public Land Encroachment Act- 1956 की धारा-11 के अंतर्गत दायर किया गया है। विलंबक्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा- मूरादपूर, अंचल- कूर्सेला, थाना सं०- 291, खाता सं०- 4241, खेसरा सं०- 7247, रकबा- 05 डी० विवादित भूमि है। उक्त खाता खेसरा में कुल- 6.09 एकड़ भूमि गंगशिकस्त हो जाने के कारण बिहार सरकार के खाते में दर्ज हो गई। बंदोबस्ती वाद सं०- 37/1982-83 द्वारा 05 डी० भूमि अपीलार्थी के पिता दरोगी मंडल को बंदोबस्ती से प्राप्त हुई। जिसकी जमाबंदी सं०- 8202 बंदोबस्तधारी के पक्ष में दर्ज है। उक्त भूमि पर इनके पिता जीवन-पर्यन्त निवास करते रहे। दरोगी मंडल अपने पीछे दा पुत्र किशन देव मंडल एवं विशनदेव मंडल को छोड़कर गुजर गए। प्रश्नगत 05 डी० भूमि में से 0.1 डी० पर अपीलार्थी का इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्मित है तथा इनके नाम पृथक जमाबंदी सं०- 9801 दर्ज है। शेष 0.4 डी० पर इनके भाई किशनदेव मंडल का आवास निर्मित है, जिनकी जमाबंदी इनके पिता के नाम दर्ज है। दोनो भाई भूमिहीन एवं अत्यंत गरीब है जिन्हें 0.5 डी० के अतिरिक्त इस घरती पर कही कोई जमीन नहीं है। अंचलाधिकारी, कूर्सेला ने अतिक्रमण वाद सं०- 5/19-20 चलाते हुए गलत ढंग से अपीलार्थी के कब्जे में 1 एकड़ भूमि दिखा दिया और उन्होंने गलत ढंग से उल्लेख किया कि अपीलार्थी द्वारा खरीदगी जमीन पर घर है। अंचलाधिकारी ने उक्त बंदोबस्ती एवं जमाबंदी को रद्द करने हेतु अपर समाहर्ता, कटिहार को प्रस्ताव भेजा। जिस पर बंदोबस्ती रद्दीकरण वाद सं०- 02/19-20 प्रारंभ किया गया। अपर समाहर्ता एवं समाहर्ता, कटिहार द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों पर बिना विचार किये इनकी बंदोबस्ती एवं जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया जो सही नहीं है।</p> <p align="right">क्रमशः</p>	

लगातार  
20-03-2024

इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी के पिता अत्यंत गरीब एवं भूमिहीन होने के आधार पर उन्हें सरकार द्वारा 05 डी0 भूमि बंदोबस्ती की गई थी, जिसपर वर्तमान में उनके वारिशान निवास कर रहे हैं। उनके पास 05 डी0 भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है। प्रश्नगत भूमि की 0.1 डी0 पर इनका इंदिरा आवास निर्मित एवं पृथक जमाबंदी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पुरानी नदी स्रोत के दूर किनारे पर अवस्थित है तथा जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत जीर्णोधार एवं गहरीकरण को प्रभावित नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि कुल 31 व्यक्तियों के साथ उक्त भूमि बंदोबस्त की गई है। परंतु बंदोबस्ती रद्दीकरण वाद मात्र तीन व्यक्तियों के खिलाफ प्रारंभ की गई है। निम्न न्यायालय आदेश नियमानुकूल नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

दूसरी तरफ अंचलाधिकारी कुर्सेला ने पत्रांक- 211, दिनांक- 24.01.2024 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि मौजा-मूरादपूर, थाना सं0- 291, खाता सं0- 4241, खेसरा सं0- 7247, रकवा- 5 डी0 भूमि बंदोबस्ती वाद सं0- 37/1982-83 द्वारा अपीलार्थी के पिता दरोगी मंडल के नाम से बंदोबस्त होकर जमाबंदी सं0- 8202 पर दर्ज है तथा 2018-19 तक भू-लगान भूगतान है। उक्त जमाबंदी में से 0.1 डी0 भूमि किशनदेव मंडल के नाम जमाबंदी दर्ज है। राजस्व कर्मचारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि स्थलीय जाँच के क्रम में उक्त वर्णित भूमि पर अपीलार्थी एवं उनके भाई का आवासीय घर अवस्थित है।

उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि R.S. खतियान में बिहार सरकार किस्म कोशी नदी दर्ज है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मेप 2015-30 की क्रियान्वयन हेतु अभियान जल निकाय संरक्षण अंतर्गत सार्वजनिक जल निकायो हेतु जल जीवन हरियाली अंतर्गत जीर्णोधार एवं गहरीकरण के उद्देश्य से बंदोवस्तधारी की भूमि को अर्जित करते हुए उनके पक्ष में निर्गत बंदोवस्ती एवं सृजित जमाबंदी को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है। अंचलाधिकारी ने निम्न न्यायालय में समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदक को उक्त बंदोवस्त भूमि के बगल में उनकी खरीदगी भूमि है, जिसपर उनका मकान-मय-सहन अवस्थित है। जबकि अंचलाधिकारी, कुर्सेला ने पत्रांक- 211, दिनांक- 24.01.2024 द्वारा इस न्यायालय में समर्पित प्रतिवेदन में इस आवेदक के पक्ष में किसी प्रकार का निजी भूमि होने का उल्लेख नहीं किया है और प्रश्नगत भूमि का उनके पक्ष में जमाबंदी सं0- 8202 दर्ज होना तथा वर्ष 2018-19 तक भू-लगान अद्यतन होने का उल्लेख है। उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि स्थलीय जाँच के क्रम में उक्त वर्णित भूमि पर

	<p>लगातार 20-03-2024</p>	<p style="text-align: right;">क्रमशः</p> <p>आवेदक एवं उनके भाई का आवासीय घर अवस्थित है। निम्न न्यायालय आदेश में यह उल्लिखित है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक-655 (6)/रा0 दिनांक- 16.06.2016 एवं 1063 (6)/रा0 दिनांक- 19.8.2019 द्वारा इस प्रकार की भूमि का दर्ज जमाबंदी को रद्द करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निदेश अंकित है।</p> <p>उल्लेखनीय है कि आवेदक भूमिहीन श्रेणी के व्यक्ति है और प्रश्नगत भूमि इन्हें आवास हेतु बंदोवस्त की गई है। प्रश्नगत भूमि सरकारी प्रयोजन हेतु यदि अर्जित की जाती है और आवेदक आवास-विहीन हो जाता है तो लोक कल्याणकारी सरकार का यह भी दायित्व है कि उनकी अर्जित भूमि के फलस्वरूप आवेदक आवास-विहीन ना हो। यदि लोकहित में प्रश्नगत भूमि अर्जित करना अपरिहार्य है तो आवेदक को अभियान बसेरा-2/सरकारी योजनाओं के तहत नियमानुकूल पुनर्वासन (Rehabilitation) की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रश्नगत भूमि लोकहित में संरक्षित रखा जाना उचित है। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य का खास ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तत्पश्चात ही उक्त भूमि अर्जित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं सशोधित</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिया।</p>	
--	------------------------------	---	--